

## राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल: rmisc.supply2@gmail.com

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website: www.rmisc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.04( )/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2022 815 दिनांक : 8/6/2022

### कार्यालय आदेश

M/s Vivimed Labs Ltd, North End Building, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana-500034 को औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(278)/RMSC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-03/2020/112 दिनांक 17.01.2020 के तहत औषधि Diclofenac Gel: Diclofenac Diethylamine 1.16%, Methyl salicylate 10%, Linseed oil 3% and Menthol 5% (code no. 493) के क्रयादेश क्रमांक 4152 दिनांक 09.02.2022 के द्वारा 827925 मात्रा, क्रयादेश क्रमांक 3728 दिनांक 04.01.2022 के द्वारा 1068250 मात्रा, क्रयादेश क्रमांक 2618 दिनांक 11.11.2021 के द्वारा 1335500 मात्रा एवं 2251 दिनांक 06.10.2021 के द्वारा 1106500 मात्रा 60 दिवस में आपूर्ति किये जाने हेतु जारी किये गये थे।

फर्म द्वारा निर्धारित समय में उक्त औषधि के जारी क्रयादेशों के विरुद्ध आपूर्ति नहीं करने पर पत्रांक 3548 दिनांक 10.03.2022 द्वारा नोटिस जारी किया गया। प्रकरण को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 26.04.2022 के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिए अवसर प्रदान किया गया जिसमें फर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। अनुशासनात्मक समिति ने विचार-विमर्श कर पाया कि उक्त फर्म को नियमित रूप से क्रयादेश जारी किए जाने के उपरान्त भी औषधि की कोई आपूर्ति नहीं की गई है, जो राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम से हुए अनुबन्ध का उल्लंघन है।

अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 26.04.2022 (प्राप्ति पत्र दिनांक 30.05.2022) की अनुशंसा के आधार पर निविदा शर्त संख्या 13(8) के अनुसार निर्माता फर्म M/s Vivimed Labs Ltd, North End Building, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana-500034 को औषधि Diclofenac Gel: Diclofenac Diethylamine 1.16%, Methyl salicylate 10%, Linseed oil 3% and Menthol 5% (code no. 493) हेतु यह आदेश जारी करने की दिनांक से दो वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। निगम द्वारा जारी पूर्व क्रयादेशों की आपूर्ति पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

44  
(अनुपमा जोरवाल)  
आई.ए.एस.  
प्रबन्ध निदेशक



क्रमांक : एफ.04( )/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2022 8/5

दिनांक : 8/6/2022

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
03. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, तेलंगाना।
04. मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
05. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, जयपुर।
06. निदेशक PH/RCH/HA/AIDS/MSH/IEC चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
07. Drug Controller General (India) New Delhi
08. औषधि नियंत्रक राजस्थान/तेलंगाना।
09. कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण/प्रोक्योरमेंट/वित्त/लॉजिस्टिक्स), आरएमएससीएल जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), आरएमएससीएल।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, राजस्थान जयपुर।
12. M/s Vivimed Labs Ltd, North End Building, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana-500034
13. गार्ड फाईल।

25  
विशेषाधिकारी  
आर.एम.एस.सी.